मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्र./4381/NR-4/03/66/10 /

भोपाल, दिनांक 27/04/10
29

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 अन्तर्गत प्रशासकीय सीमा की श्रेणी बताए बिना कार्यो के सत्यापन एवं मजदूरी भुगतान का सर्वेक्षण अंतर्गत आपके द्वारा जारी राशि की स्वीकृति विषयक।

संदर्भः– आपके कार्यालय का आदेश क्र. 527 दिनांक 3/4/2010।

——000——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के द्वारा कार्यो के सत्यापन समयावधि में करने एवं मजदूरी भुगतान का सर्वेक्षण कराए जाने हेतु महाविद्यालय टीकमगढ़ को राशि रूपये 1.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 0.50 लाख रूपये अग्रिम प्रदाय किए गए हैं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की ओर स्वीकृत राशि की पुष्टि करने हेतु लेख किया गया है।

उपरोक्त स्वीकृत राशि परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक व्यय की सीमा में किस श्रेणी के अंतर्गत है एवं उपरोक्त राशि व्यय किए जाने की आवश्यकता एवं औचित्य संदर्भित आदेश में स्पष्ट नहीं होता है। कृपया वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

28/4/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

निरं......

क्र./4382/NR-4/03/66/10 / भोपाल, दिनांक 29/04/10

प्रतिलिपिः—

- कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त की ओर भेजकर लेख है कि किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी की जाती है तो मुख्यालय द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक व्यय की श्रेणी कार्य की आवयश्यकता/औचित्य का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे।
- मुख्य कार्यपीलन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर भेजकर लेख है कि किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व्यय प्रस्तुतिकरण के पूर्व परिषद् द्वारा प्रशासनिक व्यय संबंधी जारी दिशा निर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों का अवलोकन किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
- लेखाधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समस्त की ओर भेजकर लेख है कि परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रशासकीय व्यय की श्रेणीवार सीमा/श्रेणी किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व्यय संबंधी नस्ती में अंकित करें, बिना श्रेणी/सीमा के अनुमोदन के कोई भी चैक जारी न किया जावे। किंचित परिस्थितियों में उपरोक्त स्थितियों के अलावा भी यदि चैक जारी किया जाता है तो लेखाधिकारी का दायित्व है कि वह संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करें।

28/4/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्